न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्रीमती शुभम चौधरी, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 32 / 2022

अपीलार्थी

1. मंजूलता भाटी पुत्री श्री सुन्दरसिंह जाति राजपूत निवासी वासा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. छाया बारड पुत्री श्री सुन्दरसिंह जाति राजपूत निवासी वासा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
3. पुष्पा बारड पुत्री श्री सुन्दरसिंह जाति राजपूत निवासी वासा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
4. आशा कंवर पुत्री श्री सुन्दरसिंह जाति राजपूत निवासी वासा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. श्री रणजीतसिंह पुत्र श्री सुन्दरसिंह जाति राजपूत निवासी बाबा रामदेव होटल के पास देवनगरी टांकरिया, सिरोही।
2. श्री अर्जुनसिंह पुत्र श्री सुन्दरसिंह जाति राजपूत निवासी वासा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
3. श्री राजेन्द्रसिंह पुत्र श्री सुन्दरसिंह जाति राजपूत निवासी वासा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, पिण्डवाडा जिला सिरोही।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :

1. श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा, अधिवक्ता अपीलार्थीगण।
2. श्री प्रमोद कुमार दवे अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण।
3. नायब तहसीलदार (पेरोकार राज.)

निर्णय दिनांक : 06.02.2024

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत उपतहसीलदार भा[illegible] द्वारा स्वीकृत [illegible] संख्या 1235 दिनांक 31.10.2001 के विरूद्ध दिनांक 28.04.2022 [illegible] प्रस्तुत की, जिस पर अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलांट अधिव[illegible] के निवेदन पर रेस्पोडेन्ट को सम्मन जारी किया जिस पर [illegible] की ओर से अधि[illegible] श्री प्रमोद कुमार दवे द्वारा जरिए वकालतनामा के उप[illegible]ति दी गई एवं, रेस्पोडे[illegible] चार की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.03.15 16:19:30 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलार्थी के लायक अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि मौजा वासा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही में खसरा संख्या 2180 से 2193, 2195 से 2197, 2200, 2202, 2204 एवं 2205 कुल किता 21 रकबा 21 बीघा 15 बिस्वा कृषि आराजी आई हुई है। उक्त आराजी के खातेदार श्री सुन्दरसिंह पुत्र श्री भीखसिंह जाति राजपूत का देहावसान होने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार भावरी ने उक्त नामान्तरकरण संख्या 1235 को स्वीकृत करनें में भारी एवं कानूनन भूल की है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व स्व. श्री सुन्दरसिंह पुत्र श्री भीखसिंह के वारिसान के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जांच किए बिना उक्त नामान्तरकरण केवल रेस्पोडेन्ट संख्या एक से तीन के नाम दर्ज कर स्वीकृत किया गया है, जबकि स्व. श्री सुन्दरसिंह पुत्र श्री भीखसिंह के वारिसान में अपीलांटगण एवं रेस्पोडेन्ट संख्या एक से तीन मौजूद है। यह है कि सहखातेदार श्रीमती शान्तिबाई पत्नि श्री सुन्दरसिंह जाति राजपूत का भी देहावसान हो चुका है, जिसके भी वारिसान अपीलांटगण व रेस्पोडेन्ट संख्या एक से तीन है, लेकिन श्रीमती शान्तिबाई की मृत्यु पश्चात भी राजस्व रेकर्ड में अपीलांटगण का नाम दर्ज नहीं किया गया है व स्व. श्री शान्तिबाई का नाम खातेदारी में से हटा दिया गया। यह है कि प्रशासन गांवों के संग अभियान 2001 में उक्त नामान्तरकरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया गया है, उस समय अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई विस्तृत जांच किए रेस्पोडेन्ट संख्या एक से तीन के मुगालते में आ कर उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है, जो अपास्त किए जाने योग्य है। यह है कि उक्त नामान्तकरण की अपीलांटगण को जानकारी होते ही रेस्पोडेन्ट से खातेदारी में नाम डलवाने हेतु निवेदन किया, जिस रेस्पोडेन्ट द्वारा खातेदारी में अपीलांटगण का नाम डलवाने का आश्वासन दिया लेकिन उनके द्वारा टालमटोली करने पर बिना कोई देरी किए उक्त अपील प्रस्तुत की गई है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1235 दिनांक 31.10.2001 को निरस्त किया जाना फरमावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या एक से तीन की ओर से अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि रेस्पोडेन्ट संख्या एक से तीन द्वारा अपीलांटगण की सहमति से ही उक्त नामान्तरकरण संख्या 1235 दिनांक 31.10.2001 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत करवाया गया था, परन्तु अब अपीलांटगण द्वारा उक्त खातेदारी में अपना नाम दर्ज करवाने हेतु यह अपील प्रस्तुत की है। यदि अपीलांटगण उक्त आराजी खातेदारी में अपना नाम दर्ज करवाना चाहते है, तो कानूनन उनका हक हिस्सा बनता है, जिसे उनको दिए जाने से हमें किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाकर अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांटगण एवं रेस्पोडेन्टगण का नाम उक्त खातेदारी आराजी में दर्ज करते हुए नए सिरे से नामान्तरकरण आदेश पारित करने हेतु निर्देशित करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.03.15 16:19:30 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पोडेन्ट संख्या चार की ओर से बहस में पैरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने में किसी भी प्रकार की कानूनन व वाक्यातन गलती नहीं की गई है। पटवारी हल्का वासा की रिपोर्ट के

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

आधार पर श्री सुन्दरसिंह की फौत हो जाने से उनके जाइन्दा वारिसान, जो रेस्पोडेन्ट संख्या एक से तीन के द्वारा बताए गए थे, उन्हीं के पक्ष में उक्त नामान्तरकरण को स्वीकार किया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील का कोई आधार नहीं है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज किया जाना फरमावें।

दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भलीभॉति अध्ययन एवं अवलोकन करने पर निष्कर्ष इस प्रकार है कि विवादित भूमि मौजा वासा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही में खसरा संख्या 2180 से 2193, 2195 से 2197, 2200, 2202, 2204 एवं 2205 कुल किता 21 रकबा 21 बीघा 15 बिस्वा कृषि आराजी दर्ज थी। उक्त आराजी पर स्व. श्री सुन्दरसिंह पुत्र श्री भीखसिंह जाति राजपूत निवासी वासा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही का हक अधिकार था। अपीलांट अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि स्व. श्री सुन्दरसिंह पुत्र श्री भीखसिंह जाति राजपूत का देहावसान हो होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त विवादित नामान्तरकरण केवल पुत्रों के हक में स्वीकृत किया गया है, जबकि स्व. श्री सुन्दरसिंह पुत्र श्री भीखसिंह के जाइन्दा वारिसानों में उनकी पुत्रियों भी थी, जिन्हें उनके हक हिस्से से वंचित किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या एक से तीन के अधिवक्ता द्वारा भी यह स्वीकार किया गया है कि स्व. श्री सुन्दरसिंह पुत्र श्री भीखसिंह जाति राजपूत की उक्त विवादग्रस्त आराजी में उनकी पुत्रियों का भी हक हिस्सा बनता है, जिसे उनको दिए जाने से रेस्पोडेन्ट संख्या एक से तीन को कोई आपत्ति नहीं है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि स्व. श्री सुन्दरसिंह पुत्र श्री भीखसिंह जाति राजपूत की अपीलांटगण पुत्रियां है, जो उनकी प्रथम श्रेणी के वारिसानों के रूप में आती है। अतः हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के आधार श्री सुन्दरसिंह पुत्र श्री भीखसिंह एवं उनकी पत्नि श्रीमती शांतिबाई की भी फौत हो जाने से उनके प्रथम श्रेणी के वारिसान उनके जाइन्दा पुत्र एवं पुत्रियों के नाम नामान्तरकरण दर्ज होना चाहिए था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्व. श्री सुन्दरसिंह पुत्र श्री भीखसिंह जाति राजपूत के वारिसानों की जांच किए बिना ही कानूनन भूल करते हुए केवल पुत्रों के नाम से उक्त नामान्तरकरण संख्या 1235 दिनांक 31.10.2001 को दर्ज कर स्वीकृत किया गया है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1235 दिनांक 31.10.2001 को निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि स्व. श्री सुन्दरसिंह पुत्र श्री भीखसिंह के जाईन्दा वारिसानों की जांच कर एवं उभय पक्ष को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर पुनः नए सिरे नियमानुसार नामान्तरकरण आदेश पारित करें।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.03.15 16:19:30 IST
Reason: SelfAttested

(शुभम चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner